

जीएसटी करदाता ध्यान दें !

कृपया वित्तीय वर्ष 2023-24 का अपना वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR-9* और फॉर्म GSTR-9C# में दाखिल करें



*इन करदाताओं द्वारा फॉर्म GSTR-9 दाखिल किया जाना अनिवार्य है

ऐसे सभी जीएसटी करदाता, जिनका सकल वार्षिक टर्नओवर ₹ 2 करोड़ से अधिक रहा हो (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान), निम्न को छोड़कर:

- इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर
- कैजुअल टैक्सेबल पर्सन
- टीडीएस डिडक्टर
- टीसीएस कलेक्टर
- प्रवासी टैक्सेबल पर्सन

#इन करदाताओं द्वारा फॉर्म GSTR-9C दाखिल किया जाना अनिवार्य है

ऐसे करदाता, जिनका सकल वार्षिक टर्नओवर ₹ 5 करोड़ से अधिक रहा हो (वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान), द्वारा फॉर्म GSTR-9 में वार्षिक रिटर्न के साथ फॉर्म GSTR-9C में स्व-प्रमाणित रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दाखिल किया जाना आवश्यक है

फॉर्म GSTR-9 और फॉर्म GSTR-9C विलंब से दाखिल किए जाने पर विलंब शुल्क लगता है।

जीएसटी वार्षिक रिटर्नों के विवरण के लिए कृपया स्कैन करें



केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड